

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0312 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 27/12/2024 17:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 18/07/2024 Date To (दिनांक तक): 09/09/2024
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:20 बजे Time To (समय तक): 11:00 बजे

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/12/2024 Time (समय): 16:00 बजे

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय): 27/12/2024 17:37:39 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 90 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): NAGARPALIKA AJEETGARH, DISTRICT NEEMKATHANA

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SUBASH MEEL

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMKUMAR MEEL

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1983

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM POST PURAN BADEE, SIKAR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM POST PURAN BADEE, SIKAR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

[REDACTED]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARAMVEER DULAR		पिता:RAMKUMAR SINGH	1. HANUMANPURA, SHAHPURA, M ANDAWA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	MANOJ KUMAR KUDEE AND OTHERS		पिता:MADANLAL KUDEE	1. KUDIYO KI DHANEE, NAYABAS, SHAHPURA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		9,20,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 9,20,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, दिनांक 18.07.2024 को आरोपी श्री परमवीर दुलार तत्कालीन ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना को परिवारी श्री मोहनलाल से उसके द्वारा काटी जा रही कॉलोनी का ले-आउट प्लान पास करने की एवज में 1,25,000 रूपये रिश्तत राशि प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया जाकर अपराध संख्या 146/2024 दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में दौराने रिश्तत लेनदेन दिनांक 18.07.2024 को आरोपी श्री परमवीर दुलार तत्कालीन ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना द्वारा रिश्तत लेनदेन वार्ता के समय परिवारी द्वारा काटी जा रही कॉलोनी के सम्बन्ध में परिवारी आरोपी श्री परमवीर दुलार से वार्ता करता है तो आरोपी श्री परमवीर दुलार द्वारा यह कहना कि "एक ही लिया है एनओसी के पेटे" इसके पश्चात आरोपी कहता है कि "खुला खुला क्यू छ खुल्ला खुल्ला ही कह रहा हूँ में तो" इस प्रकार आरोपी श्री परमवीर दुलार तत्कालीन ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना द्वारा उक्त बाते कहना एक अलग अपराध कारित होना पाया जाने पर ब्यूरो मुख्यालय के आदेशानुसार प्राथमिक जाँच संख्या 39/2024 पंजीबद्ध कर जाँच शुरू की जाकर श्री मोहनलाल जाट के बयान लेखबद्ध किये गये। आरोपो से सम्बन्धित सुसंगत रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। प्राथमिक जाँच के सत्यापन से पाया कि परिवारी श्री मोहनलाल जाट एंव उसके पार्टनरो द्वारा कस्बा अजीतगढ में लक्ष्मीनगर नाम से काटी जा रही कॉलोनी का नगरपालिका अजीतगढ से अनापत्ति प्रमाण-पत्र(एनओसी) प्राप्त करने हेतु परिवारी नगरपालिका अजीतगढ गया तो नगरपालिका के ईओ श्री परमवीर दुलार ने परिवारी को मनोज कुमार के मोबाईल नं. [REDACTED] देकर कहा कि आप मनोज से सम्पर्क करलो। जिस पर परिवारी श्री मोहनलाल जाट ने श्री मनोज चौधरी से उसके मोबाईल नं. [REDACTED] पर सम्पर्क कर, उसके सामोद रोड चैमू स्थित ऑफिस सोमलक्ष्मी कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रा. लि. में मिला तो श्री मनोज चौधरी ने परिवारी से नगरपालिका से एनओसी दिलवाने एंव अन्य कार्यों के नाम से अलग-अलग समय में 9,20,000 रूपये प्राप्त कर लिये। अपराध संख्या 146/2024 की रिश्तत लेनदेन वार्ता में परिवारी मोहन लाल जाट आरोपी श्री परमवीर दुलार, ईओ एंव श्री सुनिल अग्रवाल(चैयरमेन पुत्र) को बताता है कि श्री मनोज कुमार ने उससे 9,20,000 रूपये ले लिये। इसी वार्ता में परिवारी मोहनलाल जाट आरोपी परमवीर दुलार को कहता है कि "ढाई तो थे हामल भर आया छो, बि कन जनाड" तब ईओ परमवीर दुलार कहता है कि "ढाई काहे की" जिस पर परिवारी के कथन है कि "भई" तब आरोपी परमवीर दुलार के कथन है कि "एक ही लिया है एनओसी के पेटे"। आरोपी श्री परमवीर दुलार द्वारा वार्ता के दौरान यह कहना कि "एक ही लिया है एनओसी के पेटे"। इससे यह साबित होता है कि परिवारी श्री मोहनलाल जाट द्वारा काटी जा रही लक्ष्मी नगर कॉलोनी की एनओसी के पेटे श्री मनोज कुमार के मार्फत श्री परमवीर दुलार, ईओ ने एक लाख रूपये प्राप्त किये है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से आरोपी श्री मनोज कुमार द्वारा परिवारी श्री मोहनलाल जाट से उसकी लक्ष्मीनगर के नाम से काटी जा रही कॉलोनी की नगरपालिका अजीतगढ से एनओसी दिलवाने एंव उक्त कॉलोनी से सम्बन्धित अन्य कार्य करवाने की एवज में कुल 9,20,000 रूपये प्राप्त करना, जिनमे से एक लाख रूपये श्री परमवीर दुलार, ईओ द्वारा एनओसी के पेटे प्राप्त करना जाँच से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। आरोपी श्री मनोज कुमार द्वारा शेष रिश्तत राशि में से कितना हिस्सा स्वयं के लिए रखा गया एंव अन्य किन-किन कर्मचारी/अधिकारी/व्यक्तियों को कितनी रिश्तत राशि दी गई, की स्थिति विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट होगी। इस प्रकार प्राथमिक जाँच के सत्यापन से आरोपी श्री परमवीर दुलार तत्कालीन ईओ, नगरपालिका अजीतगढ द्वारा श्री मनोज कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य के साथ मिलीभगत कर परिवारी श्री मोहनलाल जाट द्वारा काटी जा रही लक्ष्मी नगर कॉलोनी की एनओसी के पेटे श्री मनोज कुमार द्वारा परिवारी से कुल 9,20,000 रूपये ईओ एंव अन्य के लिए प्राप्त करना, उक्त राशि में से श्री परमवीर दुलार, ईओ द्वारा श्री मनोज कुमार के मार्फत एक लाख रूपये रिश्तत के रूप में प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है, जो अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए,

12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः आरोपीगण श्री परमवीर दुलार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, जाति जाट, उम्र-56 वर्ष, निवासी हनुमानपुरा, पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं तत्कालीन ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना एंव श्री मनोज कुमार कुडी पुत्र श्री मदनलाल कुडी, जाति जाट, उम्र-33 वर्ष, निवासी कुडियो की ढाणी, नयाबास पुलिस थाना अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर व अन्य के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सीपीएस एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (सुभाष मील) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1.श्री परमवीर दुलार पुत्र श्री रामकुमार सिंह, जाति जाट, उम्र-56 वर्ष, निवासी हनुमानपुरा, पुलिस थाना मण्डावा जिला झुंझुनूं तत्कालीन ईओ, नगरपालिका अजीतगढ जिला नीमकाथाना, 2.श्री मनोज कुमार कुडी पुत्र श्री मदनलाल कुडी, जाति जाट, उम्र-33 वर्ष, निवासी कुडियो की ढाणी, नयाबास पुलिस थाना अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर व अन्य के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 344 पर अंकित है।(कालूराम रावत) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1725-29 दिनांक 27-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2 जयपुर। 2- शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जाँच संख्या 39/2024) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Ravindra Singh Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): Shekhawat (पद):

No(सं.): to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kalu Ram Rawat
Location: Rajasthan, IN
Date: 27/12/2024 17:45



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): KALU RAM RAWAT

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Bulld (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1968				
2	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)